

197

3206

20/NA/07

लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण

1. भूमि का प्रकार - कृषि
(कृषि/आवासीय/वाणिज्यिक/औद्योगिक/अन्य)
2. वार्ड परगना डासना
3. मौहल्ला/ग्राम - ग्राम नायफल
4. सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नम्बर) खाता नं० 45 के खराए नं० 355
5. नापन की इकाई (हैक्टेयर/वर्ग मीटर) हैक्टेयर

आपनाल

Amrout Garra

for UPRA CHARGES

Authorized Signature

ने निष्पादन पूर्वाकार किया ।

हस्ताक्षर पत्रिका श्री अहमप्रकाश

पुत्र श्री सुरत सिंह

पेशा व्यापार/अन्य/स्त्री

निवासी सुरवाई पी 80 नगर

पुत्र श्री रवि

पुत्र श्री नरेश

पेशा व्यापार/अन्य/स्त्री

निवासी नायफल गाबाद

ने को ।

पत्रिका भंड मासिकों के नि.गव अंगुंटे नियमानुसार भिजे गये हैं ।



रजिस्ट्रार अशिकागी के हस्ताक्षर

उप निबंधक, प्रथम

गाजियाबाद

11/4/2013



(2)

6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल 0.6040 हैक्टेयर
7. सड़क की स्थिति (परिशिष्ट के अनुसार) 200 मीटर से अधिक
8. अन्य विवरण (9 मीटर रोड/ कार्नर इत्यादि) N.A
9. सम्पत्ति का प्रकार भूमि कृषि
10. प्रतिफल की धनराशि 86,65,710/-रुपये
11. पेड़ कुँआ नलकूप व बोरिंग व आबादी नहीं है

विश्व व्यापकता (Universal) के अभाव में

[Handwritten signature]

विक्रेता

Registration No. 3206

Year 2013

Box No 1

0101

जयन लाल

नगरपालिका

सुस्ताई १० वृत्त

व्यापार/उत्पन्न/उद्योग



0102

देवचन्द

नगरपालिका

सुस्ताई १० वृत्त

व्यापार/उत्पन्न/उद्योग

Deven Chand



(3)

प्रथम पक्ष की संख्या (2)

द्वितीय पक्ष की संख्या (1)

विक्रेता का विवरण:-

1. नाम : जगनलाल
पिता का नाम : श्री वासदेव
स्थायी पता : ग्राम दुरयाई परगना व तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर
पहचान पत्र नं० :
2. नाम : टेकचन्द
पिता का नाम : श्री वासदेव
स्थायी पता : ग्राम दुरयाई परगना व तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर
पहचान पत्र नं० :

सि० जगनलाल



1st DEPT. C.M.C. to be filled by the
Authorised Signatory

Handwritten signature

ક્રેદા

Registration No : 6206

Year 2013

Book No

0201 મો ઉચ્ચત સહકારી ધોણ પ્રિભેશ વિપ્
51 મુલ મિત્ર
33 ઈન્કુબેટર કમ્પાઉન્ડ 10-11
બાધક/અધિકારી



(4)

क्रेता का विवरण:-

1. नाम : मैसर्स उत्पल चढढा हाई टेक डेवलपर्स प्रा० लि० द्वारा श्री
त्रिजेश बिष्ट
पिता का नाम : श्री डी० एस० बिष्ट
स्थायी पता : 33, कम्युनिटी सेंटर न्यू फैंडस कालीनी नई दिल्ली
पहचान पत्र नं०: BQF1572676



FOR OFFICIAL USE ONLY

Authorized Signature

Ken Edward Sharada

• • • • •

242 2011

॥३॥

AC 947 050 707 13/21 201

श्री ३५१ '५३८

2014年12月 2014年12月 2014年12月

33 ~~34~~ 4.0 - 4.8. Qued

ဗုဒ္ဓဂါရဝ ၁၃၄

Figure 1

ና ላይ ስለሚገኙት ስራዎች ስለሚገኙት ስራዎች

निष्पत्तिः अत्राद्यं तस्य फलं च यद्विज्ञेयं विज्ञेयं च तद्विज्ञेयं च तद्विज्ञेयं च तद्विज्ञेयं च

11

2.10

श्री जगन्नाथ स्वामी

पुत्र श्री वासुदेव

पेशा व्यापार/अन्य/रुखी

निवासी दूरपाई गो नुठ नगर

श्री टेकबन्द

पुत्र श्री काशदेव

પ્રેક્ષા વ્યાપાર/અના/સ્ત્રી:

निषारणी दूरयाई गी सुठ भगर

श्री. मधु सप्यल, बड़ोडा हास्य डिजेश गिफ्ट

पूज्य श्री टी एस शिष्ट

पेशा वाशरुअमंरुई

निर्देश 23 ~~संशोधन~~ संशोधन



विक्रय पत्र

विक्रय पत्र अंकन : 86,65,710.00 रुपये।

स्टाम्प पेपर - प्रश्नगत भूमि के क्रय हेतु किये जा रहे निबन्धन में कर एवं निबन्धन विभाग की अधिसूचना संख्या-क0नि0-5-893/ ग्यारह- 2010- 500-(83)-2005 दिनांक 06 मई 2010 की व्यवस्था के अनुसार संबंधित विकासकर्ता कंपनी/कन्सर्शियम क्रेता स्टैम्प क्षयूटी से छूट के लिये पात्र है।

हम कि जगनलाल व टेकचन्द पुत्रगण श्री वासदेव निवासी ग्राम दुरयाई परगना व तहसील दादरी व जिला गौतमबुद्धनगर (फरीक अव्वल/विक्रेतागण)।

एवम

मैसर्स उप्पल चट्टान हाईटेक डवलपर्स प्रा0 लि0 पंजीकृत कार्यालय 33, कम्यूनिटी सेंटर न्यू फेन्डस कालोनी नई दिल्ली द्वारा प्रवेश बिष्ट पुत्र श्री डी. एस. बिष्ट, 33, कम्यूनिटी सेंटर न्यू फेन्डस कालोनी नई दिल्ली अधिकृत हस्ताक्षरी (फरीक दायग/क्रेता)।

जि.आ.



जगनलाल





विक्रीत भूमि का विवरण

(1) ग्राम नायफल परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद (उ०प्र०), में स्थित कृषि भूमि खाला नं० 45 के खसरा नं० 355 रकबा 0.6040 हैक्टे० का पूर्ण भाग के प्रथम पक्ष विक्रेतागण अनुसार खतौनी 1416 1421 फसली पूर्णतया स्वागी व विक्रय अधिकारी, बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है, का बैनामा हाजा में विक्रय किया जा रहा है।

(2) विक्रीत भूमि कृषि भूमि है। जो किसी भी मुख्य मार्ग अथवा लिंक मार्ग पर स्थित नहीं है। भूमि मुख्य मार्ग से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है तथा संक्रमणीय भूमिधरी की भूमि है। जिसका सरकारी शकिल रेट 1,23,51,780/- रुपये प्रति हैक्टेयर है लेकिन प्रथम पक्ष ने सौदा द्वितीय पक्ष से रु० 1,43,47,200/- प्रति हैक्टेयर की दर से अंकन 86,65,710/- रुपये (अठ्यासी लाख पैंसठ हजार सात सौ दस रुपये मात्र) में तय है।

(3) विक्रेतागण अनुरूपित जाति एवं अनुरूपित जनजाति से नहीं है। विक्रेतागण ने इस आशय का अपना श्रीमान तहसीलदार से जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। विक्रीत भूमि ग्राम रामाज, भूदान, वक्फ, पट्टे आदि की तथा निष्क्रान्ति व शत्रु संपत्ति नहीं है और न ही इस पर कोई किसी प्रकार का विवाद है विक्रीत भूमि कृषि भूमि है जिसके विक्रय में स्टाभ्य अधिनियम की धारा 27(1) का सत्यतापूर्वक अनुपालन किया गया है।

(4) विक्रेतागण ने विक्रीत भूमि का प्रमाणित खसरा, खतौनी, पहचान पत्र विक्रय पत्र के साथ संलग्न किया है।

(5) विक्रीत भूमि उक्त आज दिन तक हम फरीक अव्वल (विक्रेतागण) की ओर से हर प्रकार के बन्धक, भार व सरकारी देनदारी आदि से मुक्त है। कहीं अन्य जगह आड, रहन, बय, हिबै, गहायदाबय व जमानत सरकारी व अर्द्ध सरकारी व निजी रूप आदि में ग्रस्त नहीं है। और न उक्त पर कोई बैंक ऋण व बिजली या अन्य किसी प्रकार का ड्यूज है। इस विक्रय भूमि से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद ग़रत मागला किसी भी न्यायालय व सरकारी व अर्द्धसरकारी विभाग/कार्यालय में न तो दर्ज है और न ही लम्बित है। और न ही किसी निर्णीत आदेश का क्रियान्वयन ही लम्बित है।

नि.अ.

लगत 19/11





(6) विक्रीत मिलिक्यत उक्त के विक्रय में कोई दोष व त्रुटि नहीं है हर प्रकार के वाद विवाद से मुक्त है उपरोक्त वर्णित/उल्लिखित भूमि के संबंध में गुड विक्रेतागण ने किसी अन्य व्यक्ति, कम्पनी आदि के एक में कोई मौखिक करार, वसीयतनामा व विक्रय अनुबंध-पत्र, विक्रय पत्र, किसी भी कार्यालय में पंजीकृत व अपंजीकृत, पूर्व में न तो निष्पादित किया है और न ही कराया है और न ही कहीं नोटरी द्वारा सत्यापित हुआ है। यदि भविष्य में इस संबंध में कोई भी वसीयतनामा, विक्रय अनुबंध/विक्रय पत्र प्रस्तुत करके विवाद उत्पन्न किया जाता है तो वह विवाद अमान्य व निष्प्रभावी होगा। तथा इसके जिम्मेदार फरीक अव्वल व उनके वारिसान होंगे।

(7) हम विक्रेतागण को विक्रय पत्र में वर्णित उक्त खाता नं० 45 के खसरा नं० 355 रकबा 0.6040 हैक्टे० स्थित ग्राम नायफल परगना डालना तहसील व जिला गाजियाबाद उसके हिरसे के पूर्ण भाग को बेचने का स्वतन्त्र अधिकार पूर्णतः प्राप्त है। हम विक्रेतागण को वास्ते तरक्की काश्त एवं अन्य निजी आवश्यकता हेतु पैसों की आवश्यकता है तथा गुडो अपनी उक्त भूमि की उचित कीमत क्रेता से मिल रही है। अतः हम विक्रेतागण ने अपनी खुशी से बिना किसी दबाव व धमकाव के, बरजामंदी, शुद्ध बुद्धि व स्वस्थ इन्द्रियों की दशा में अपने पारिवारिक सहमति से मय समस्त अधिकार मालिकाना, काबिजाना, दाखिली-खारिजी, काश्त भराई, हर किस्म कच्चा गर्ज के जो कुछ भी अधिकार हम विक्रेतागण को विक्रीत भूमि से प्राप्त थे उससे कुछ बचा हुआ नहीं रहा है आदि आदि को आज की तारीख में विक्रय धनराशी अंकन- 86,65,710/- रुपये (छयासी लाख गैंसठ हजार सात सौ दस रुपये मात्र) जिसके आधे अंकन 43,32,855/- रुपये (तैंतालीस लाख बत्तीस हजार आठ सौ पचपन रुपये मात्र) होते हैं के एवज में बहाथ फरीक दोयम क्रेता उपरोक्त मैसर्स उप्पल चदढा हाईटेक डवलपर्स प्रा० लि० पंजीकृत कार्यालय 33, कम्यूनिटी सेंटर न्यू फेन्डस कालोनी नई दिल्ली द्वारा ब्रजेश बिष्ट पुत्र श्री डी. एस. बिष्ट, 33, कम्यूनिटी सेंटर न्यू फेन्डस कालोनी नई दिल्ली अधिकृत उस्तादारी (फरीक दोयम/क्रेता)। अधिकृत हरताक्षरी द्वितीय पक्ष को बैय कर दिया है यानि कताई बेय दिया है और भूमि की कुल विक्रय धनराशी हम विक्रेतागण ने क्रेता से प्राप्त कर ली है। अब कुछ भी विक्रय धनराशी बाकी नहीं रही है।

गि. अ.

जगन कर्त

Handwritten signature and stamp.

Handwritten signature.

Handwritten signature and stamp.





(8) विक्रय भूमि का कब्जा मौके पर क्रेता का पूर्ण वास्तविक रूप से करा दिया है जिसके क्रेता पूर्णतः मालिक काबिल दाखिल बन गये हैं उनको सर्वथा अधिकार है कि वह उक्त भूमि को जिस प्रकार चाहे बहसियत मालकाना प्रयोग में लावे।

(9) विक्रेतागण, विक्रीत भूमि के बाबत समस्त कागजात में बजरिये बैनामा दाखिल थारिज मालकागजात में कराकर क्रेता का नाम दर्ज करवायेगा या वो स्वयं दर्ज करवा सके हैं तथा आवश्यक प्रपत्रों पर जहाँ चाहे हस्ताक्षर हम फरीक अव्वल से करा सकते हैं, हम फरीक अव्वल को कोई एतराज नहीं दोगा।

(10) अतः अब विक्रय परचात विक्रीत भूमि की मिलकियत भूमि में निहित हित व उसके मूल्य धन तथा किसी अंश से विक्रेतागण व वारिसान विक्रेतागण का, अब कोई संबंध बाकी नहीं रहा और न कभी रहेगा।

(11) विक्रीत भूमि पर आज दिन तक फरीक अव्वल/विक्रेतागण की ओर कोई भार निकला ओर निकला हुआ भार क्रेता या स्थानापन को अपने पास से अदा करना पड़ा अथवा विक्रेतागण के अनाधिकार से या वारिसान विक्रेतागण की दायेंदारी या किसी कानूनी नुक्स आदि से विक्रय भूमि कुल अथवा उसका कोई अंश क्रेता या उसके वारिसान या स्थानापन के कब्जे मालकाना से निकल जाये, तो हर ऐसी दशा के उत्पन्न होने पर फरीक अव्वल/विक्रेतागण व उसके उत्तराधिकारीगण पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे तथा क्रेता व उसके स्थानापन व उत्तराधिकारीगणों को पूर्ण अधिकार होगा कि अपने पास से अदा किये गये भार की तथा कब्जे से निकल जाने वाली भूमि की धनराशी को गय हर्ज स्वर्त्त प्रथम पक्ष विक्रेतागण व विक्रेतागण के वारिसान की चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहे वसूल करा सकते हैं जिस पर फरीक अव्वल विक्रेतागण को कोई आपत्ति नहीं होगी।

(12) विक्रय पत्र का समस्त खर्चा क्रेता ने वहन किया है।

(13) अतः यह विक्रय पत्र खूब सोच समझकर, चुनकर पढ़ कर गवाहों की उपस्थिति में लिख दिया गया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

दिना.

अगस्त/१३

Handwritten signature

Handwritten text

Handwritten text

अ.





(14) विक्रेतागण ने विक्रीत भूमि रकबई 0.6040 हैक्टेयर, खाता नं० 45 के खसरा नंबर 355 स्थित ग्राम नायफल परगना खासना तहसील व जिला गजियाबाद के निमित्त निम्न विवरण के अनुसार विक्रय धनराशी प्राप्त कर ली है:-

(15) यश बैंक लि०, ग्राउन्ड फ्लोर, जी-1,2,3, चिरंजीव टावर, 43 नहेरु प्लेस, नई दिल्ली-19 बैंक नंबर 090805 अंकन 43,32,855/- रुपये (तीतालीस लाख बत्तीस हजार आठ सौ पचपन रुपये मात्र) व बैंक नंबर 090805 अंकन 43,32,855/- रुपये (तीतालीस लाख बत्तीस हजार आठ सौ पचपन रुपये मात्र) दिनांकित 23/05/13, फरीक अव्वल द्वारा अंतिम रूप से प्राप्त कर लिये गये है।

(हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा)
फरीक अव्वल (विक्रेतागण)

(हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा)
फरीक दीवान (क्रेता)

गवाह नं० 1

श्री राम प्रसाद - क० अस्तामि
दुर्गेश्वर - क० अस्तामि

गवाह नं० 2

श्री - क० अस्तामि

श्री - क० अस्तामि

तहसील दिनांक



8

आज दिनांक 11/04/2013 को

पृष्ठ सं. 1 विन्द सं. 10933

पृष्ठ सं. 1 से 12 पर क्रमांक 3206

संशोधित किया गया

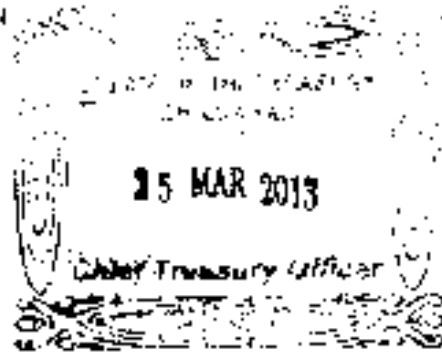
संशोधित करने वाले के हस्ताक्षर

उप निरन्धक, प्रथम

राजियावाट

राजियावाट





35

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

अनुबन्ध पत्र

यह अनुबन्ध पत्र आज दिनांक स्थान में
श्री. राजेश कुमार सिंह पुत्र/पति
निवासी ग्राम परगना तहसील
व जिला द्वारा

प्रथम पक्ष

एवं

मै० पंजीकृत
कार्यालय 33 कम्युनिटी सेंटर, न्यू फ्रेडस कॉलोनी, नई दिल्ली द्वारा
पुत्र

द्वितीय पक्ष

विदित हो कि प्रथम पक्ष ग्राम परगना व तहसील
जिला में स्थित भूमि खाता सं० खसरा सं.....
..... कुल रकबा हैक्टैयर (अपने सम्पूर्ण भाग) का
संक्रयणीय भूमिधर मालिक, काबिज है। राजपत्रों में उक्त भूमि पर प्रथम पक्ष का नाम
दर्ज है कोई अन्य व्यक्ति उक्त भूमि में किसी प्रकार का हकदार व हिस्सेदार नहीं
है। उक्त भूमि पर अविभाजित परिवार का या कोई अन्य पारिवारिक वाद विवाद या
कोई केस नहीं चल रहा है।

कि 01/09/2017

वि.सं. निम्न की तिथि
.....
.....
.....
.....
.....

UPPAL CHADHA MULTITECH DEVELOPERS PVT. LTD.
NEW DELHI

राजेश कुमार स्टाम्प विक्रेता
संकेत नंबर 350
संकेत की अवधि 31 वर्ष
.....

Rajesh



प्रथम पक्ष की उक्त भूमि आज की तारीख तक हर प्रकार के कर्जों सरकारी व गैर सरकारी आदि से पाक व साफ है।

यह कि प्रथम पक्ष आज दिनांक को अपनी उक्त भूमि को द्वितीय पक्ष के पक्ष में विक्रय कर दिया है। जोकि सब रजिस्ट्रार कार्यालय में बही सं० के पुस्तक सं० पृष्ठ पर क्रम सं० पर दर्ज है।

प्रथम पक्ष उक्त विक्रय के फलस्वरूप सम्पूर्ण प्रतिफल की धनराशि द्वितीय पक्ष से प्राप्त कर लिये है। यह है कि प्रथम पक्ष को प्रतिफल धनराशि के अलावा उसके सम्पूर्ण हिरसे पर रुपए प्रति वर्गमीटर के हिसाब से रु०/- द्वारा बैंक नं. दिनांक बैंक द्वितीय पक्ष द्वारा दिया जा रहा है जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित शर्तों की पाबन्दी दोनों पक्षों व उनके वारिसान पर रहेगी।

1. यह कि विक्रीत भूमि की निर्धारित मूल्य धनराशि अंकन रुपए व उक्त भूमि पर उत्पन्न अन्य किसी भी अनुतोष लाभ या पुनर्वास हेतु आवंटित प्लॉट की एवज में प्राप्त होने वाली धनराशि रु. प्रति वर्गमीटर के हिसाब से निर्धारित धनराशि दोनों पक्षों को मान्य है।
2. यह कि प्रथम पक्ष मौके पर कब्जा द्वितीय पक्ष को करा दिया है।

दिनांक ११/११/२०१५

3. यह कि विक्रीत भूमि पर प्रथम पक्ष का कोई भी हक या अधिकार शेष नहीं रहा समस्त अधिकार द्वितीय पक्ष को प्राप्त हो गये हैं।
4. यह कि उक्त भूमि के सम्बन्ध में पुनर्वास योजना के तहत यदि भविष्य में किसी भी प्रकार के गृहखण्डों का वितरण शासन या किसी निकाय द्वारा किया जाता है तो उस पर प्रथम पक्ष को कोई अधिकार नहीं होगा। समस्त अधिकार द्वितीय पक्ष के होंगे। इन अधिकारों के अंतरण हेतु प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से रु..... द्वारा बैंक सं०..... दिनांक..... बैंक से प्राप्त कर लिये हैं।
5. यह कि प्रथम पक्ष का विक्रय के फलस्वरूप उक्त भूमि पर लगी फसल, नलकूप या चिन्नी भी परिसम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा।

अतः यह अनुबन्ध पत्र लिख दिया है ताकि भविष्य में काम आवे।

प्रथम पक्ष

द्वितीय पक्ष

गवाह

1.

2.

सेवा में

राष्ट्रीय प्रबन्धक

उपप्रबन्धक, आर्थिक विकास

राज्य सरकार

विषय अनापत्ती प्रमाण पत्र (एनओ ओओ सीओ) के सम्बन्ध में

महोदय,

श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी/प्रार्थी गण ने अपनी भूमि जिराका
छाता संख्या.../... द्वारा मगर.../... रकबा.../... दिशा प्राय.../...
... परगना.../... व तहसील.../... जिला.../...
...। मुझ प्रार्थी को उपरोक्त भूमि में सम्पत्ति धर्मादा हाईटैक डेवेलपर्स प्रा० लि०
को देवना है। इस कारण कम्पनी को बैंक से अनापत्ती प्रमाण पत्र (एनओ ओओ सीओ) की
आवश्यकता है कि मुझ प्रार्थी की भूमि पर कोई ऋण नहीं है।

अतः आप से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी को अनापत्ती प्रमाण पत्र (एनओ ओओ सीओ)
प्रदान करने की कृपा करें।

धन्यवाद।

प्रार्थी

राजगन लाल से ५५५-५५५ नं० दिल्ली

16.01.26/04/013

10/11/21 ની બિડગીડી ૨૬

5. प्रमाणित किया जाता है कि A प्रमाणित
है

४१० वास्तुशिल्प श्री. नाथकृष्ण जी. शर्मा लक्ष्मी. मंगल

ਪਿਤਾ ਗਾਂਧੀ ਨੀ ਘਰੇਲੂ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

2575

961075 No. 45-

K55329 Alb. 355